

सूचना (अल्पकालीन सूचना)

पटना सदर अनुमंडल क्षेत्रान्तर्गत सम्पतचक प्रखंड के कनौजी कछुआरा नगर परिषद् में विकास मित्र के रिक्त पद पर अनुबंध के आधार पर नियोजन हेतु आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं। आवेदन पत्र विहित प्रपत्र में कार्य दिवस को कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद्, सम्पतचक के कार्यालय में जमा किया जा सकता है।

क्र0	गतिविधि	अवधि
01	समाचार पत्रों में प्रकाशन की तिथि	दिनांक-12.01.2026
02	संबंधित नगर निकाय में आवेदन प्राप्त करना	दिनांक 13.01.2026 से 24.01.2026 तक
03	मेधा सूची में प्रकाशन	दिनांक-27.01.2026
04	आपत्ति प्राप्त करना	दिनांक-28.01.2026 से 05.02.2026
05	अंतिम चयन सूची का प्रकाशन	07.02.2026
06	नियोजन पत्र वितरण/शपथ ग्रहण उन्मुखीकरण	11.02.2026

• रिक्तियों की विवरणी :-

क्र0	प्रखंड का नाम	पंचायत/वार्ड का नाम	रिक्तियों की संख्या	जाति बहुलता	कोटि आरक्षण
01	सम्पतचक	कनौजी कछुआरा	01	मुसहर	अन्य

- विकास मित्र का नियोजन अनुबंध के आधार पर किये जाने हेतु अनुमंडल पदाधिकारी, पटना सदर की अध्यक्षता में गठित चयन समिति निम्नवत् है:-

क्र0 सं0	पद	सदस्य
01	अध्यक्ष	अनुमंडल पदाधिकारी, पटना सदर।
02	सदस्य सचिव	अनुमंडल कल्याण पदाधिकारी, पटना सदर।
03	सदस्य	कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद्, सम्पतचक।
04	सदस्य	प्रखंड कल्याण पदाधिकारी, सम्पतचक।

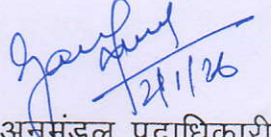
1. आवेदक की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता मैट्रिक या समकक्ष होगी। मैट्रिक में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी का चयन मेधा सूची के अनुरूप किया जायेगा तथा समान मेधा अंक रहने पर ज्यादा उम्र रहने वाले अभ्यर्थी को प्राथमिकता दी जायेगी। चयन में मैट्रिक या समकक्ष से उच्चतर योग्यता वाले अभ्यर्थियों के लिए अतिरिक्त लाभ नहीं दिया जायेगा।
2. मैट्रिक पास अभ्यर्थी नहीं मिलने पर नन-मैट्रिक, नौवी पास, आठवीं पास, सातवीं पास, छठी पास एवं पांचवी पास का नियोजन किया जा सकेगा।
3. महिलाओं के लिए शैक्षणिक योग्यता नहीं मिलने पर साक्षर रहने पर भी चयन किया जा सकेगा। बशर्ते वे अक्षर अंचल योजना एवं स्वयं सहायता समूह के साथ जुड़ी हो तथा वे सामाजिक कार्य में प्रगतिशील सक्रिय हो।
4. महादलित आवेदक की उम्र दिनांक 01.01.2025 को न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 50 वर्ष होगी।
5. आवेदक महादलित परिवार से होगा। पंचायत/वार्ड समूह (कलस्टर)(शहरी) में जिस महादलित जाति की बहुलता होगी उसी जाति के अभ्यर्थी का चयन किया जायेगा।
6. जिस पंचायत/वार्ड समूह (कलस्टर)(शहरी) से विकास मित्र का चयन किया जाना है, वहीं के निवासी से आवेदन प्राप्त किया जायेगा एवं चयन किया जायेगा।

• चयन की प्रक्रिया:-

7. आवेदन विहित प्रपत्र में होना चाहिए। विहित प्रपत्र संबंधित प्रखण्ड कार्यालय/नगर परिषद/नगर पंचायत कार्यालय, संबंधित नगर निगम तथा अनुमण्डल कल्याण कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है।
8. आवेदन पत्र जमा करने का स्थान संबंधित प्रखण्ड विकास पदाधिकारी का कार्यालय/शहरी क्षेत्र के लिए संबंधित कार्यपालक पदाधिकारी, नगर निगम का कार्यालय होगा।
9. वैसी स्थिति जब एक ही शैक्षणिक योग्यता के दो या उससे अधिक आवेदन प्राप्त होंगे वैसी स्थिति में जिस आवेदक का उम्र सबसे कम हो(जन्म तिथि के अनुसार) का चयन किया जायेगा।

• आवेदन के साथ आवश्यक अनुलग्नक :-

- (क) मैट्रिक का अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति। नन-मैट्रिक के लिए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति/समकक्ष से निर्गत प्रवेश पत्र की अभिप्रमाणित छायाप्रति। आठवीं से पांचवीं पास तक के अभ्यर्थियों के विद्यालय परित्याग प्रमाण पत्र की अभिप्रमाणित छायाप्रति।
- (ख) जाति प्रमाण पत्र।
- (ग) निवास प्रमाण पत्र।
10. प्रत्येक पंचायत एवं कलस्टर में महादलित जाति की बहुलता पहले से निर्धारित है।
11. अनुमण्डल पदाधिकारी की अध्यक्षता में गठित चयन समिति द्वारा विकास मित्र का चयन किया जायेगा।


21/1/26
अनुमंडल पदाधिकारी,
पटना सदर।